

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्त्वियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिव्यवह प्रारंभ कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारकों को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थाव्य संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **14.12.2017** को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आंशिक मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय
रंजीत सिंह गौरव पुत्र हनुमान गौरव मकान नं. जी-929, गणेश गुवाड़ी पंचशील ए- ब्लॉक अजमेर	15,09,646.00 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 16.06.2017 अधिग्रहण तिथि 06.09.2017	रंजीत सिंह गौरव के नाम से आवासीय प्लॉट जी-460, गणेश गुवाड़ी पंचशील नगर, अजमेर, क्षेत्रफल 450 वर्गफुट सीमाएं- उत्तर: मकान सं. जी-461, दक्षिण: मकान नं. जी-459, पूर्व: UIT प्लॉट, पश्चिम: सड़क 40 फुट।	7,38,000/- (रु. सात लाख अठ्ठासी हजार मात्र) 73,800/- (रु. महत्तम हत्ता आठ सौ मात्र) 1,000/- (रु. एक हजार मात्र)	14.12.2017 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

स्थानाधीन स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

नियम व शर्तें:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizzard.com> के माध्यम से दिनांक 14.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क स्थ: श्री कुराल जोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com / श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemant.ps@antaresystems.com, प्रश्न कायलिय: 080409352000/08040482000 के पते पर पंजीकरण कर लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizzard.com> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आंशिक मूल्य से कम में नही की जाएगी। 5. बिड निर्धारण प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाइन जमा होगा। 6. ऑनलाइन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 12.12.2017 प्रातः 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, श्रीनगर रोड़, अजमेर शाखा या ऑनलाइन RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 01860210001035, IFSC CODE - UCBA0000186 में जमा करानी होगी। 8. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दु 7 में वर्णित है तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने पर/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 9. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नही कराता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 10. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 11. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारार्थन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नही की जाएगी। 12. संपत्ति की नीलामी "जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है" के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/देक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाइन बिड जमा करने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी। 13. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्ण सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 14. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित सम्पन्न शुल्क/प्रभार जैसे स्टॉम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल संपन्न निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 15. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.12.2017 तक बैंक कार्य समय में कर सकते है। 16. यह बिक्री सर्फेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दर्याओं के विषयार्थन है। 17. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निर्दिष्ट हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक श्रीनगर रोड़, अजमेर शाखा से 0145-2661072, 2426392, 7727834400 पर संपर्क किया जा सकता है। 18. यह ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटेरिस है।

दिनांक: 10.11.2017 स्थान: अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आसित्यों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावक संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 14.12.2017 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बैंक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय
मै. आशुतोष फ्रेबिक्स प्रो. अनूप सोमानी पुत्र सत्यनारायण सोमानी 21, न्यू क्लोथ मार्केट, पुर रोड़, भीलवाड़ा।	24,31,202.28 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 14.08.2017 अधिग्रहण तिथि 30.10.2017	आशुतोष सोमानी पुत्र सत्यनारायण सोमानी के नाम से आवासिये प्लॉट 1-ए-28 तिलक नगर, योजना भीलवाड़ा, क्षेत्रफल 269.10 वर्गफुट, सीमाएं- उत्तर: प्लॉट नं. 1-ए-19, दक्षिण: रोड़ 30 फुट, पूर्व: प्लॉट नं. 1-ए-27, पश्चिम: प्लॉट नं. 1-ए-29	18,00,000/- (रु. अठारह लाख मात्र) 1,80,000/- (रु. एक लाख अस्सी हजार मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	14.12.2017 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

नियम व शर्तें:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> के माध्यम से दिनांक 14.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल जोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com / श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemanat.ps@antaresystems.com, प्रश्न कायालय: 08049352000/08040482000 के पोस्टल पत्र पंजीकरण कर लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगी। 6. ऑनलाईन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 12.12.2017 सय 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, भीलवाड़ा शाखा या ऑनलाईन RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 08140210002063, IFSC CODE - UCBA0000814 में जमा करानी होगी। 8. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दु 7 में वर्णित है तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 9. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 10. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 11. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारार्थीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 12. संपत्ति की नीलामी "जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है" के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टेक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाईन बिड जमा करने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति सवीकार नहीं होगी। 13. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्ण सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 14. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्ट्याम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकारी को देय समस्त सांविधिक बैंक, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 15. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.12.2017 तक बैंक कार्य समय में कर सकते है। 16. यह बिक्री सर्फेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयार्थीन है। 17. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक भीलवाड़ा शाखा से 01482-220344, 236862, 6350050133 पर संपर्क किया जा सकता है। 18. यह ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटीस है।

यत: यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आसित्यों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिग्रहण प्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **14.12.2017** को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आरंभित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय
दिलीप कुमार चावला पुत्र धर्मदास चावला एवं हिना चावला पत्नी दिलीप कुमार चावला, पता: 1- 84-ए, आदर्श नगर, कुन्हाड़ी, कोटा। पता: 2- कुन्हाड़ी पैट्रोल पंप के सामने, गिरधरपुरा शर्मल कॉलोनी, लाडपुरा, कोटा।	26,14,208.00 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 16.02.2017 अधिग्रहण तिथि 20.09.2017	श्री दिलीप कुमार चावला के नाम से आवासीय मूल्य एवं भवन 84-ए आदर्श नगर, कुन्हाड़ी, कोटा, क्षेत्रफल 25x40=1000 वर्गफीट, सीमाएं- उत्तर: अन्य भूमि, दक्षिण: सड़क 20 फीट, पूर्व: प्लॉट नं. 85, पश्चिम: मकान नं. 84 का शेष भाग।	25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) 2,50,000/- (रु. दो लाख पचास हजार मात्र) 2,50,000/- (रु. दो हजार पांच सौ मात्र)	14.12.2017 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

नियम व शर्त:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> के माध्यम से दिनांक 14.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (अभिमत प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/S Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल बोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemant.p@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये ईच्छुक बोलीकर्ता वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आर्शित मूल्य से कम में नही की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्राण्य पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगा। 6. ऑनलाईन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 12.12.2017 सांय 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, शाखा कोटा मुख्य या ऑनलाईन RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 013902100000410, IFSC CODE - UCOA0000139 मे जमा करानी होगी। 8. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दु 7 में वर्णित है तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने के पश्चि दिव्ये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 9. यदि सफल बोलीदाता उक्तरोजाना राशि जमा नही कराता है तो उसमें द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 10. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 11. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचाराधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नही की जाएगी। 12. संपत्ति की नीलामी 'जहाँ है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अन्वल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लें। ऑनलाईन बिड जमा करने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी। 13. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुक्षित रहेगा। 14. खरीदार को नियमामुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टैम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सौविधिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 15. इच्छुक खरीदार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.12.2017 तक बैंक कार्य समय में कर सकते है। 16. यह बिक्री संकेसी अधिनियम 2002 के प्राधान्यों तथा एशाओं के विषयाधीन है 17. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक कोटा मुख्य से 0744-2381163/2380971, 7597709243, पर संपर्क किया जा सकता है। 18. यह ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिफ है।